

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 2 September, 2004

No. S.O.90/H.A.6/2003/S.59/2004.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 59 of the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003), and with reference to Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. Web- 15/H.A. 6/2003/S.59/2004, dated the 14th July, 2004, the Governor of Haryana hereby makes the following amendment in Schedule B and Schedule C appended to the said Act, namely:-

Amendment

In the Haryana Value Added Tax Act, 2003 (6 of 2003),-

1. in Schedule B, after serial number 27 and entry thereagainst, the following serial number and entry thereagainst shall be inserted, namely:-

“27A Gypsum.”;

2. in Schedule C, against serial number 44, in the existing entry, the words “and gypsum” shall be omitted.

L.S.M. SALINS,
Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Excise and Taxation Department

हरियाणा सरकार
आबकारी तथा कराधान विभाग
अधिसूचना

दिनांक 2 सितम्बर, 2004

संख्या का0आ0 90/ ह0अ0 6 / 2003/ धा0 59/ 2004.- हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का 6) की धारा 59 की उप धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा सरकार आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 15 /ह0अ0 6/2003/धा0 59 /2004, दिनांक 14 जुलाई, 2004, के प्रति निर्देश से हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची ख तथा ग में निम्नलिखित संशोधन करते हैं अर्थात् :-

संशोधन

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003, (2003 का 6) में, -

1. अनुसूची ख में क्रम संख्या 27 तथा उसके सामने प्रविष्टि के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टि जोड़ दी जाएगी, अर्थात्:-
"27क जिप्सम।" ;
2. अनुसूची ग में, क्रम संख्या 44 के सामने, विद्यमान प्रविष्टि में, "तथा जिप्सम" शब्दों का लोप कर दिया जाएगा।

एल.एस.एम. सालिन्स,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग